न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी डॉ. राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

अपील संख्या 31/2019

मनीराम पुत्र रूडाराम जाति कुम्हार निवासी चक 44 एल.एल.डब्ल्यू. तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, सादुलशहर।
2. मोडूराम पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार निवासी चक 44 एल.एल.डब्ल्यू. तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर। ——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज.काश्त.अधि. 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर दिनांक 20.02.2019

उपस्थिति :—

श्री तेजासिंह, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री महावीर धारणीयां, राजकीय अधिवक्ता

श्री मनोहरलाल सहारण अभिभाषक रेस्पों. सं. 2

निर्णय दिनांकः 23.04.19

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पों. सं. 2 ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के समक्ष राज.काश्त. अधि. की धारा 53 के तहत रूडाराम के परिवार की वंशावली निम्नानुसार :—

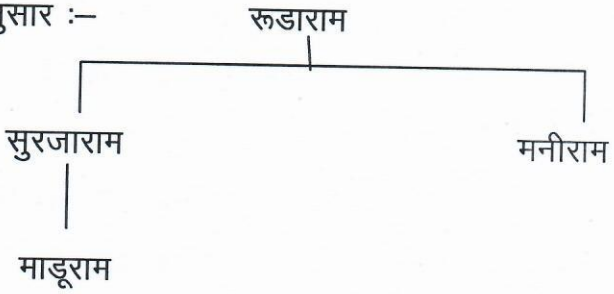

दर्शाते हुए पेश कर कथन किया कि चक 44 एल.एल.डब्ल्यू. के प.नं. 25/225 के मु.नं. 42 के कि.नं. 1 से 25 में 6.3250 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें वादी के नाम 2.108है0 रकबा दर्ज है। घरू

बंटवारा व कब्जा काश्त अनुसार वादी के कब्जा काश्त में मु.नं. 42 के कि.नं. 1 से 5 व 7 की 0.084है0, 8 से 10 कुल 2.108है0 कब्जा काश्त में चली आ रही है। राजस्व रिकार्ड में बंटवारा नहीं होने से सिंचाई आदि में परेशानी होती है। अतः निवेदन है कि वाद वादी स्वीकार कर वादी के कब्जा काश्त वाली 2.108है0 भूमि का विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

2. प्रतिवादी सं. 1 ने जबाब दावा पेश कर कथन कि वादी व प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा दर्ज है, खाता सांझा है, कोई घरू बंटवारा नहीं हुआ है। यदि कोई घरू बंटवारा हुआ होता तो वादी उसे पेश करता। अतः निवेदन है कि वाद वादी खारिज किया जावे।
3. दावा एवं जबाब दावा के आधार पर अधी. न्यायालय ने अनुतोष सहित 6 वाद बिन्दु कायम किये।
4. सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 31.08.2018 को वाद वादी स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार से विभाजन के प्रस्ताव मंगवाने के आदेश दिये। तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अधी. न्यायालय ने दिनांक 20.02.2019 को आदेश पारित कर मु.नं. 42 के कि.नं. 1 से 5, 7 से 10 की 2.108है0 भूमि का वादी को एवं मु.नं. 42 के कि.नं. 6, 7, 11 से 25 की 4.2017है0 भूमि का प्रतिवादी सं. 1 को खातेदार घोषित किया गया एवं मु.नं. 42 के कि.नं. 6, 15, 16, 25 में 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया गया है। अधी. न्यायालय द्वारा दिनांक 21.01.2019 को अन्तिम डिक्री जारी की गई। अपीलांट द्वारा आदेश दिनांक 20.02.2019 के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।
5. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
6. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी द्वारा वंशावली में प्रतिवादी के साथ मानी देवी, दाखी तथा सुरजाराम, मनीराम आदि है। सुरजाराम की मृत्यु हो गई है, उनके वारिसान को

पक्षकार नहीं बनाया गया है। वादी/रेस्पों. द्वारा अपने दावा में रास्ता की मांग नहीं की थी फिर भी अधी. न्यायालय ने रास्ता स्वीकृत कर दिया। रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में अपीलांट को कोई मुआवजा नहीं दिलाया गया। इसके अलावा विभाजन में भूमि की किस्म अनुसार बंटवारा करना चाहिए था जो नहीं किया है। बंटवारा के साथ दावा घौषणा का नहीं था। अधी. न्यायालय द्वारा दिनांक 20.02.2019 को आदेश पारित किया है एवं डिक्री 21.01.2019 को जारी की गई है। अधी. न्यायालय ने सन् 1996 के घरू बंटवारा के आधार पर किया है। उक्त घरू बंटवारा न ही पेश किया है और न ही इसे प्रदर्शित करवाया गया है और न ही ब्यान करवाये गये हैं। अधी. न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री के विपरीत जाकर अन्तिम डिक्री जारी की है। दिनांक 30.11.1996 के बंटवारानामा के आधार पर दावा डिक्री किया है। बंटवारा के दावा में रास्ता स्वीकृत कर दिया है जबकि ऐसा नहीं किया जा सकता है। प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा करते किन्तु रास्ता प्राथमिक डिक्री में अंकित नहीं किया है। कुल 25 बीघा भूमि में 6 बीघा नहरी व 19 बीघा बारानी है किन्तु अधी. न्यायालय द्वारा अपीलांट को नहरी भूमि कम दी है जबकि अच्छी से अच्छी, बुरी से बुरी के अनुपात अनुसार ही भूमि का विभाजन करना चाहिए था। अधी. न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखे बिना ही आदेश पारित किया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि राजस्व रिकार्ड में 18 बीघा भूमि बारानी दर्ज है परन्तु रकबा पूरा ही सिंचाई होता है। बंटवारा के दावा में रास्ता दिये जाने का प्रावधान है, अलग से रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु प्रा.पत्र दिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस सम्बन्ध में वकील अपीलांट ने आर.बी.जे. (23) 2016 पेज 170 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया। रेस्पों. की भूमि में से खाला चल

रहा है। अपीलांट को उसके हिस्से अनुसार ही भूमि दी गई है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट खारिज की जावे।

8. **उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।**

9. **उभयपक्ष द्वारा अपनी बहस में रूडाराम का परिवार का सजरा निम्नानुसार बताया:–**

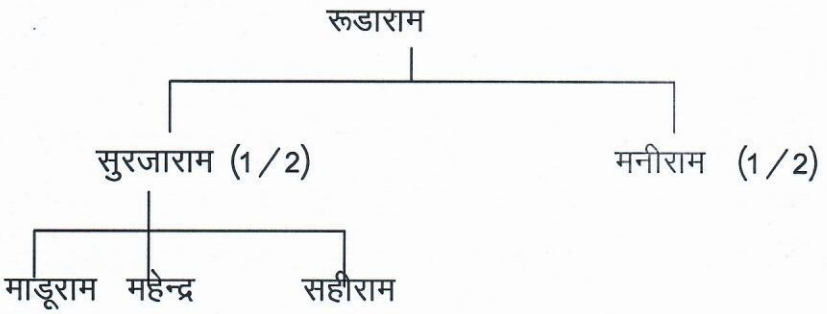

(महेन्द्र द्वारा अपने हिस्से का बेचान मनीराम को कर दिया है इसप्रकार मनीराम का 2/3 हिस्सा एवं माडूराम का 1/3 हिस्सा)

(i) अधी. न्यायालय में वादी/रेस्पों. द्वारा बंटवारा का दावा पेश किया था। बंटवारा के दावा के साथ घोषणा का दावा पेश नहीं किया था। किन्तु अधी. न्यायालय ने विभाजन के साथ–साथ घोषणा की डिक्री भी जारी कर दी है उसमें कोई गम्भीर विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती। क्योंकि ऐसा करने में अधी. न्यायालय सक्षम है।

(ii) दौराने बहस वकील अपीलांट ने इस तथ्यों को उजागर किया कि प्राथमिक डिक्री के आधार पर दिनांक 20.02.2019 को अन्तिम डिक्री का आदेश पारित किया गया है एवं डिक्री दिनांक 19.01.2019 को जारी की है जो आदेश जारी करने से पूर्व की है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण पाया जाता है। इस सम्बन्ध में हमारा विवेचन यह है कि उक्त त्रुटि लिपिकीय प्रतीत होती है जो दूर किये जाने योग्य थी। अधी. न्यायालय ने इस बिन्दु पर विचार नहीं किया एवं बिना दुरूस्त किये ही डिक्री पारित कर दी जो निर्णय को दूषित करती है।

(iii) अधी. न्यायालय ने घरू बंटवारा दिनांक 30.11.1996 के आधार पर वाद का अन्तिम निर्णय किया है जबकि उक्त बंटवारानामा की फोटो प्रति अधी. न्यायालय में प्रतिवादी की साक्ष्य बंद होने के पश्चात वादी द्वारा पेश की गई थी। मूल बंटवारानामा को अधी. न्यायालय में पेश कर साक्ष्य से प्रदर्शित नहीं करवाया, न ही उक्त दस्तावेज रजिस्टर्ड है और न ही मूल रूप से पेश किया गया, फिर भी अधी. न्यायालय द्वारा उक्त दस्तावेज की फोटो प्रति के आधार पर जोकि वादी द्वारा जानबूझ कर मूल दस्तावेज को न प्रदर्शित करके निर्णय प्राप्त करने में सफल रहा। यह तथ्य अधी. न्यायालय द्वारा गौर नहीं किया गया एवं न ही मूल दस्तावेज पत्रावली पर लेकर साक्ष्यों द्वारा संपोषित नहीं किया है जोकि एक कानूनी भूल है।

(iv) यह तथ्य विचारनीय है कि प्रार्थी/वादी द्वारा उक्त दस्तावेज जानबूझ कर वाद दायर करते समय एवं तनकी बनने के बाद तक साक्ष्य प्रस्तुत करने के समय जानबूझ कर प्रस्तुत नहीं किया व अधी. न्यायालय से प्राथमिक डिक्री जारी करने के पश्चात अन्तिम डिक्री जारी करने के समय उक्त दस्तावेज की केवल अप्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर निर्णय प्राप्त किया जो यह सिद्ध करता है कि प्रार्थी स्वयं स्वच्छ हाथों से नहीं आया है। साथ ही अधी. न्यायालय ने भी इस बिन्दु पर कोई विचार नहीं किया जिससे उक्त निर्णय दोषपूर्ण प्रतीत होता है।

(v) इसप्रकार उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अधी. न्यायालय का निर्णय प्राथमिक डिक्री के अनुरूप नहीं है साथ ही यह तथ्य भी विचारनीय है कि अधी. न्यायालय द्वारा दिनांक 16.08.2017 को अनुतोष सहित 6 बिन्दु कायम किये गये थे, तथापि प्राथमिक डिक्री एवं अन्तिम डिक्री दोनों में ही निर्णय तनकीवार नहीं किया गया जोकि एक गम्भीर त्रुटि है।

(vi) अधी. न्यायालय में वाद बंटवारे का था एवं बंटवारे के वाद में अधी. न्यायालय ने रास्ता स्वीकृत किया, इस सम्बन्ध में वकील अपीलांट ने कथन किया कि बंटवारे के वाद में रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में वकील रेस्पों. ने न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे. (23) 2016 पेज 170 पेश किया जिसके अनुसार बंटवारे के वाद में रास्तों का प्रावधान रखा जा सकता है। अधी. न्यायालय ने उक्त वाद में रास्ता स्वीकृत करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

(vii) वकील अपीलांट ने दौराने बहस कथन किया कि राज.काश्त. राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है। इस सम्बन्ध में अधी. न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा मौका पर केवल पटवारी हल्का के हस्ताक्षर हैं। इस पर तहसीलदार के एवं दोनों पक्षकारों के हस्ताक्षर नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि अधी. न्यायालय ने उक्त नियमों की पालना की अनदेखी की है एवं न ही अपने निर्णय में ऐसा कोई उपर्युक्त आधार नहीं दिया है। पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा मौका में कोई रास्ता स्पष्ट रूप से जिन किलों में से होकर गुजरता है नहीं दर्शाया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अधी. न्यायालय द्वारा उक्त नियमों की पालना किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना पाया जाता है जोकि विधिक प्रावधानों के विपरीत है।

10. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.02.2019 एवं डिक्री दिनांक 21.01.2019 निरस्त की जाती है तथा प्रकरण अधी. न्यायालय को उपरोक्त विवेचन को ध्यान में रखकर, पक्षकारों को सुनकर तनकीवार, साक्ष्य व दस्तावेज व गवाहान के ब्यानात लेकर निर्णय देने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।
11. निर्णय आज दिनांक 23.04.2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राकेश कुमार शर्मा)